प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 43 अंक – 50 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 10 – 17 दिसम्बर 2018 मूल्य पांच रूपए

सर्वोच्च न्यायालय फैसले में आयी भाषा व्याकरण की गलती सुधारे-मोदी सरकार ने किया आग्रह

राफेल प्रकरण पर

शिमला/शैल। राफेल प्रकरण पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच किये जाने के आग्रह को लेकर आयी चारों जनहित याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया कि उसकी नजर में प्रक्रिया, कीमतें और आफसेट पार्टनर को लेकर ऐसा कुछ भी सामने नही आया है जिसके आधार पर ऐसी कोई जांच आदेशित की जाये। सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर उन सारे दस्तावेजों/जानकारियों का अवलोकन करने के बाद पहुंचा जो उसके पास सरकार ने सीलबन्द लिफाफे में सौंपे थे। यह दस्तावेज बिना किसी शपथपत्र के सौंपे गये थे क्योंकि यह जानकारियां देश की सरुक्षा से जुड़ी हुई थी। इसलिये इन्हें याचिकाकर्ताओं के साथ भी सांझा नही किया गया यदि यह सब शपथपत्र के साथ आया होता तो निश्चित रूप से इसे सांझा किया जाता। सरकार द्वारा सौंपी गयी जानकारियों पर विश्वास करते हुए शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन जब 29 पन्नों का यह फैसला बाहर आया तब इसमें यह उल्लेख दर्ज मिला कि सरकार ने राफेल की कीमतों का सब कुछ सीएजी से सांझा किया है और सीएजी ने अपनी रिपोर्ट पी ए सी को सौंपी है और पी ए सी ने इसका अवलोकन किया है।

जब फैसले में दर्ज यह जानकारी और फैसला बाहर आया तब याचिकाकर्ताओं और अन्यों ने इसे पढ़ा। इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं आयी। सरकार और भाजपा ने इसे अपने पक्ष में क्लीन चिट कहा। याचिकाकर्ताओं ने ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए इसमें रिव्यू याचिका डालने की बात की। लेकिन इस फैसले पर सबसे बड़ी प्रतिक्रिया कांग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी और पीएसी के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे की आयी। खड़गे ने स्पष्ट कहा कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में गलतब्यानी की है क्योंकि सीएजी की राफेल पर कोई रिपोर्ट आयी ही नही है और न ही उन्होने इसे देखा है। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जिसने पूरे फैसले के आधार पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया। पीएसी के अन्य सदस्यों ने भी माना है कि सीएजी की कोई रिपोर्ट आयी ही नही है। बल्कि सच्च तो यह है कि देश के साठ सेवानिवृत नौकरशाहों ने सीएजी से राफेल प्रकरण को जांचने का आग्रह किया था। इन साठ नौकरशाहों में हिमाचल के सेवानिवृत अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन भी शामिल हैं। खड़गे – राहूल की इस प्रतिक्रिया के बाद हडकंप मचना स्वभाविक था और हुआ भी ऐसा ही। सरकार ने इसके लिये राहूल को यहां तक कह दिया कि वह अपने को अदालत से ऊपर समझते हैं लेकिन डाक्टर स्वामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया में माना है कि सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने इस सद्धर्भ में निश्चित रूप से गलत ब्यानी की है और इससे पूरे फैसले की बुनियादी ही हिल जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा सौंपे सारे विवरण को सही मानते हुए फैसला दिया है। लेकिन अब जब सीएजी की रिपोर्ट का उल्लेख सिरे से ही आधारहीन गलतब्यानी सिद्ध हो गया है तो इसी के साथ प्रक्रिया और आफसेट पार्टनर को लेकर सौंपी गयी जानकारियां कितनी सही होंगी इस पर भी स्वत: ही प्रश्च चिन्ह लग जाता है। क्योंकि सरकार ने फैसले में सीएजी के उल्लेख को भाषा व्याकरण की गलती करार दिया है। सरकार ने कहा है कि इस गलती को सुधारने का आग्रह भी सर्वोच्च न्यायालय में डाल दिया है। शीर्ष अदालत की इस पर क्या प्रतिक्रया होती है? क्या सर्वोच्च न्यायालय इसे सरकार के मुताबिक भाषा व्याकरण की गलती मानकर चुप हो जाता है या अपने फैसले पर पुन: विचार करता है यह सब आगे देखने को मिलेगा। लेकिन इस फैसले के बाद जेपीसी जांच की मांग और बढ़ गयी है। सरकार इस मांग का विरोध कर रही है। सरकार फैसले में सीएजी के उल्लेख को अपनी गलती मानने की बजाये सर्वोच्च न्यायालय की गलती करार दे रही है। सरकार और भाजपा ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अपने पक्ष में क्लीनचिट के तौर पर भुनाने के लिये देश भर में 70 स्थानों पर पत्रकार वार्ताएं करने का फैसला लिया है। क्या देश की जनता भी इसे सरकार और भाजपा की तरह सर्वोच्च न्यायालय की गलती मानती है या ''चोरी और सीनाजोरी भी'' करार देती है।

फैसले के महत्वपूर्ण अंश

"we find no reason for any intervention by this Court on the sensitive issue of purchase of 36 defence aircrafts by the Indian Government."

15. It is in the backdrop of the above facts and the somewhat constricted power of judicial review that, we have held, would be available in the present matter that we now proceed to scrutinise the controversy raised in the writ petitions which raise three broad areas of concern, namely, (i) the decision-making process; (ii) difference in pricing; and (iii) the choice of IOP.

25. The material placed before us shows that the Government has not disclosed pricing details, other than the basic price of the aircraft, even to the Parliament, on the ground that sensitivity of pricing details could affect national security, apart from breaching the agreement between the two countries. The pricing details have, however, been shared with the Comptroller and Auditor General (hereinafter referred to as "CAG"), and the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee (hereafter referred to as "PAC"). Only a redacted portion of the report was placed before the Parliament, and is in public domain. The Chief of the Air Staff is stated to have communicated his reservation regarding the disclosure of the pricing details, including regarding the weaponry which could adversely affect national security. The pricing details are stated to be covered by Article 10 of the IGA between the Government of India and the Government of France, on purchase of Rafale Aircrafts, which provides that protection of classified information and material exchanged under the IGA would be governed by the provisions of the Security Agreement signed between both the Governments on 25th January, 2008. Despite this reluctance, the material has still been placed before the Court to satisfy its conscience.

26. We have examined closely the price details and comparison of the prices of the basic aircraft along with escalation costs as under the original RFP as well as under the IGA. We have also gone through the explanatory note on the costing, item wise. Suffice it to say that as per the price details, the official respondents claim there is a commercial advantage in the purchase of 36 Rafale aircrafts. The official respondents have claimed that there are certain better terms in IGA qua the maintenance and weapon package. It is certainly not the job of this Court to carry out a comparison of the pricing details in matters like the present. We say no more as the material has to be kept in a confidential domain.

भूलसुधार याचिका के अंश

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
ORIGINAL JURISDICTION
I.A NO _____/2018
IN
WRIT PETITION (CRL.) No. 225/2018

2. That the Union of India is moving this application seeking a correction with regard to two sentences in paragraph 25 of the judgment delivered by this Hon'ble Court on 14.12.2018 in the present case. The error in these 2 sentences, as explained hereinafter, appears to have occurred, perhaps, on account of a misinterpretation of a couple of sentences in a note handed over to this Hon'ble Court in a sealed cover. The observations in the judgment have also resulted in a controversy in the public domain, and would warrant correction by this Hon'ble Court in the interest of justice.

5. That in the said note, which was in the form of bullet points, the second bullet point carries the following sentences

"The Government has already shared the pricing details with the CAG. The report of the CAG is examined by the PAC. Only a redacted version of the report is placed before the Parliament and in public domain".

6. That it would be noted that what has already been done is described by words in the past tense, i.e. the Government "has already shared" the price details with the CAG. This is in the past tense and is factually correct. The second part of the sentence, in regard to the PAC, is to the effect that "the report of the CAG is examined by the PAC". However, in the judgment, the reference to the word **"is"** has been replaced with the words **"has been"**, and the sentence in the judgment (with regard to the PAC) reads "the report of the CAG **has been** examined by the Public Accounts Committee".

शैल समाचार के नियमित पाठक बनने हेतू
विज्ञापन देने के लिये इन नम्बरों पर संपर्क करें
कार्यालय दूरभाष – 0177 – 2805015, मो. 948015015, मो. 9418069978, मो. 9418020312
ई मेल – shailsamachar@gmail.com, वेबसाईट – www.shailsamachar.co.in
पाठकों की प्रतिक्रियाओं को भी विशेष स्थान दिया जायेगा
– संपादक

सतत जल प्रबन्धन पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि बढ़ता जल प्रदूषण तथा भूजल के स्तर में गिरावट आज सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। स्वभाविक रूप से विकसित जल वृद्धि प्रणाली को समझना और इसके अनुरूप कार्य योजना विकसित करना वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा और यदि इस दिशा में कोई कारवाई नहीं की गई तो इसके दुष्परिणाम हमारे सामने होंगे।

राज्यपाल पंजाब में मोहाली स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तत्वावधान में भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय के अंतर्गत भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड द्वारा आयोजित 'सतत जल प्रबंधन' पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।

आचार्य देवव्रत ने कहा भूजल के अत्यधिक शोषण और कुप्रबंधन के कारण भूजल स्तर विशेषकर पंजाब और हरियाणा राज्यों में तेजी से कम हो रहा है तथा वैज्ञानिकों के आंकड़ें बताते हैं कि भूजल स्तर चार फुट प्रतिवर्ष की दर से नीचे जा रहा है जो चिन्ता का विषय है। राज्यपाल ने कहा कि सिंचाई के लिए जल के आवश्यकता के अधिक प्रयोग को प्राकृतिक खेती अपनाकर रोका जा सकता है।

राज्यपाल ने कहा कि पानी की उपलब्धता सुरक्षित किए बिना सतत् विकास हासिल नहीं किया जा सकता तथा जल की उपलब्धता मानव अस्तित्व और कल्याण के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी तथा जल कुप्रबन्धन के विपरीत प्रभावों को भी रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह वित्त योजना, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सभी क्षेत्रों में जल प्रबन्धन को एकीकृत करने से भी संबंधित है। उन्होंने कहा कि जल उपलब्धता की दृष्टि से सुरक्षित दुनिया में गरीबी कम होगी तथा शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तथा जीवन स्तर में वृद्धि होगी।

उन्होंने सुझाव दिया कि हमें अपने भूजल संसाधनों को संरक्षित करना चाहिए तथा अपने शहरी स्थानों की रचना इस प्रकार से करनी होगी, जिससे की हमारी भूजल संसाधनों पर निर्भरता कम हो तथा हमें पानी के पुनर्चक्रण और वर्षा जल संग्रहण में अधिक निवेश करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि 'हमें मिट्टी की संरचना में सुधार और मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए फसल आवर्तन तकनीकों का भी विकास करना होगा। राज्यपाल ने कहा कि वर्षा जल संग्रहण कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। उन्होंने सिंचाई के लिए पानी का उपयोग भी शामिल है जोकि भारत में एक चिन्ता का विषय है क्योंकि भूमि, नदियों और झीलों के जल का बहुत अधिक प्रयोग फसलों की सिंचाई के लिए होता है।

उन्होंने कहा कि कीटनाशकों का उपयोग, भूजल में रासायनिक रूप से प्रभावित और प्रदूषित पानी का रिसाव चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मालवा क्षेत्र में कैंसर और अन्य बीमारियों की बढ़ती घटनाएं पिछले दशक में उभर कर सामने आई है।

उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, केन्द्रीय सिचांई और ऊर्जा बोर्ड तथा विश्व बैंक को 'सतत जल प्रबंधन' जैसे गंभीर विषय पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का विषय वैश्विक जलवायु परिवर्तन के आज के दौर में बेहद प्रासंगिक है।

राज्यपाल ने जल संसाधनों के सतत प्रबंधन पर नवीनतम उत्पादों और सेवाओं पर प्रदर्शनी का भी शुभारम्भ किया।

HPPWD TENDER

Sealed item rate tender on form 6 & 8 are hereby invited by the **Executive Engineer, Sundernagar Division, HPPWD** Sundernagar on behalf of Governor of HP for the following works from the approved and eligible Contractors so as to reach in this office on or before **07.01.2019 up to 11:00 AM** and will be opened on the same day at 11:00AM in the presence of the intending contractors or their authorized representatives if any. The tender forms can be had from this office against cash payment (Non refundable) upto **1:00 PM on 05.01.2019**. The tender forms shall only be issued to those contractors who possess the valid GST registration.

The earnest money in the shape of National Saving Certificate/ Time Deposit Account/ Saving Account in any of the Post Office and Bank in H.P. duly pledged in favour of Executive Engineer, Sundernagar Division, HP.PWD Sundernagar must be accompany with each tender. Conditional tenders and the tenders received without earnest money will summarily be rejected. The Executive Engineer reserves the right to reject the tender without assigning any reasons.

Sr.No.	Name of Work	Estimated cost (Rs.)	Earnest money	Time	Appropriate class of contractor	Tender Cost
1.	C/o Angan Bari Centre at Gram Panchayat Dhawal, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (HP) (SH: C/o building portion) NTPC Deposit.	`4,40,845/-	`9,000/-	Six Months	D	350/-
2.	Improvement of black spot on Slapper Tattapani road KM 0/0 to 13/690 (SH: P/F "W" metal beam crash barrier railing and cement concrete edge wall at RD 4/00 to 4/100).	`4,95,363/-	`10,000/-	One Month	D`	350/-
3.	Improvement of black spot on Slapper Tattapani road KM 0/0 to 13/690 (SH: P/F "W" metal beam crash barrier railing and cement concrete edge wall at RD 4/100 to 4/200).	`4,95,363/-	`10,000/-	One Month	D`	350/-
4.	Improvement of black spot on Slapper Tattapani road KM 0/0 to 13/690 (SH: P/F "W" metal beam crash barrier railing and cement concrete edge wall at RD 4/200 to 4/300).	`4,95,363/-	`10,000/-	One Month	D`	350/-
5.	RRD on link road to Village Bahlag KM 0/0 to 3/0 (SH: Construction of R/wall at RD 0/142 to 0/146.50).	`4,97,985/-	`10,000/-	One Month	D`	350/-
6.	RRD on link road to Village Bahlag KM 0/0 to 3/0 (SH: Construction of R/wall at RD 0/146.50 to 0/151).	`4,98,753/-	`10,000/-	One Month	D`	350/-
7.	Improvement of Black Spot on Slapper Batwara road via Sanihan KM 0/0 to 12/0 (SH: P/F "W" metal beam crash barrier railing and cement concrete edge wall at RD 6/030 to 6/130)."	`4,95,363/-	`10,000/-	One Month	D`	350/-
8.	Improvement of Black Spot on Slapper Batwara road via Sanihan KM 0/0 to 12/0 (SH: P/F "W" metal beam crash barrier railing and cement concrete edge wall at RD 6/310 to 6/410).	`4,95,363/-	`10,000/-	One Month	D	350/-
9.	Improvement of Black Spot on Slapper Batwara road via Sanihan KM 0/0 to 12/0 (SH: P/F "W" metal beam crash barrier railing and cement concrete edge wall at RD 8/350 to 8/450).	`4,95,363/-	`10,000/-	One Month	D	350/-
10.	Improvement of Black Spot on Slapper Batwara road via Sanihan KM 0/0 to 12/0 (SH: P/F "W" metal beam crash barrier railing and cement concrete edge wall at RD 8/030 to 8/130).	`4,95,363/-	`10,000/-	One Month	D`	350/-
11.	Improvement of black spot on Slapper Tattapani road KM 0/0 to 13/690 (SH: P/F "W" metal beam crash barrier railing and cement concrete edge wall at RD 4/300 to 4/400).	`4,95,363/-	`10,000/-	One Month	D`	350/-
12.	Improvement of black spot on Slapper Tattapani road KM 0/0 to 13/690 (SH: P/F "W" metal beam crash barrier railing and cement concrete edge wall at RD 4/400 to 4/500).	`4,95,363/-	`10,000/-	One Month	D`	350/-

Conditions:-

The tender documents shall be sold to only those contractors who fulfill the conditions as under:-

1. The contractors are required to submit the proof of G.S.T. registration/ EPF Registration/ affidavit alongwith application form.
2. Application must be accompanied with EMD. Applications without EMD shall be summarily rejected.
3. Conditional and incomplete tenders shall be rejected.
4. The XEN reserves the right to accept or reject the tender without any reason.

Adv. No.-3562/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

मुख्यमंत्री ने किया धर्मशाला में केंद्रीय पुलिस बल कैंटीन व्यवस्था का शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने धर्मशाला में केंद्रीय पुलिस बल कैंटीन व्यवस्था का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर सीताराम मरडी, पुलिस महानिदेशक, अतुल फुलजले, उप-पुलिस महानिरीक्षक, उत्तरी रेंज धर्मशाला, संतोष पटियाल, पुलिस अधीक्षक कांगड़ा, अन्य पुलिस कर्मचारी व काफी मात्रा में स्थानीय लोग उपस्थित थे।

प्रदेश पुलिस ने एकमुश्त चार सहायक पुलिस कैंटीनों क्रमश: धर्मशाला, मण्डी, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज डरोह और शिमला में खोलने के साथ इस प्रणाली की शुरुआत की है। धर्मशाला में उपरोक्त कैन्टीन प्रणाली के शुभारम्भ सामारोह के बाद उपरोक्त तीन स्थानों पर भी कैन्टीनों को कार्यान्वित किया है।

राज्य में पुलिस कर्मचारियो व पुलिस पैंशन धारको के कल्याण के लिये केंद्रीय पुलिस बल कैंटीन प्रणाली को लागू करना पूरे पुलिस बल के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जिससे सेवारत व सेवानिवृत पुलिस कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा तथा वे उपभोग्य व अन्य घरेलू सामान जिसमें वाहन भी शामिल हैं, को बाजार से सस्ती दरों पर खरीद सकेंगे।

एस.बी. नेगी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था ने शिमला में सीपीसी सहायक पुलिस कैंटीन का शुभारम्भ पुलिस कालौनी कसुम्पटी में किया, जिन्होने इस कैन्टीन से पहली खरीददारी भी की। इस अवसर पर हिमांशु मिश्रा, पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस एवं प्रशिक्षण, जे.पी. सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, पुलिस अधीक्षक अपराध, पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राईम व पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. इंटेलिजेंस भी उपस्थित थे। उपरोक्त कल्याण योजना को पुलिस विभाग में कार्य करने वाले सभी वर्गो द्वारा सराहना की गई है।

विकलांग श्रेणी के 12 जे.बी.टी पदों की काउन्सलिंग 20 दिसम्बर को

शिमला/शैल। उप शिक्षा निदेशक रविन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जे.बी.टी के 12 पदों की भर्ती विकलांग श्रेणी में से की जा रही है। उन्होंने बताया कि पद टैट मैरिट तथा बैच वाईज अनुबन्ध के आधार पर भरे जाएंगे जिसके लिए काउन्सलिंग 20 दिसम्बर को 10 बजे उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जिला बिलासपुर के कार्यालय में निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि अभ्यार्थी जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज है, वही काउन्सलिंग के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि विशेष रोजगार कार्यालय, विकलांग हिमाचल प्रदेश कार्यालय से जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रायोजित किए गए हैं उन्हें पंजीकृत डाक के माध्यम से बुलावा पत्र प्रेषित किए जा चुके हैं, इसके अलावा ऐसे पात्र अभ्यार्थी जोकि उक्त श्रेणी में आते हों एवं निर्धारित योग्यता पूर्ण करते हों वो भी निर्धारित तिथि को काउन्सलिंग में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी अभ्यार्थी को काउन्सलिंग हेतु अनुमति नही दी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रतिवेदन/ दावेदारी स्वीकार्य नही होगी। उन्होंने बताया कि अभ्यार्थी अपने समस्त दस्तावेज की मूल एवं सत्यापित प्रतियां काउन्सलिंग में लाना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष नं. 222589 पर सम्पर्क कर सकते है।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"Notice Inviting Tender"

Sealed item rate tender on form No.6 and 8 are hereby invited on behalf of Governor of Himachal Pradesh for the following works from the approved and eligible contractors enlisted in HP.PWD., So as to reach in this office on or before 7.1.2009 up to 11.00 A.M. and tender will be opened on the same day at 12.00 Noon in the presence of intending contractors or their authorized representatives who may like to be present. The tender form can be had from this office against cash payment (non refundable) up to 05.00 pm on or before 5.1.2009.

The earnest money in the shape of F.D.R./time deposited in HP duly pledged in favour of Executive Engineer, Nahan Division, HP. PWD., Nahan must accompany with each tender. Conditional tender and the tender received without earnest money will summarily be rejected. The undersigned reserve the right to reject any or all tender without assigning any reasons. The offer of the tender will be kept opened for 120 days.

Work No.1:- P/M of Kun Nehrla road Km.0/0 to 4/040. (SH:-P/L 20mm thick premix carpet surfacing with seal coat in Km.1/0 to 1/600.), Estimated cost:- 399701/- Earnest Money:- 8,000/- Time limit:- One month, Cost of tender form:- 350/-

Work No.2:- C/O L/R from Jalal bridge to ShiruMaila road Km.0/0 to 8/0 under SCSP.(SH:- C/O R/wall & B/wall at 0/0 to 0/045), Estimated cost:- 475000/- Earnest Money:- 10,000/- Time limit:- One month, Cost of tender form:-350/-

Terms & Conditions:-

1.The Contractors/Bidders must quoted their Permanent Income Tax Account Number/GST number on the tender along with the copy of the same be attached with the application.
2. The Contractors/Firms should attach copy of the Registration/Renewal with the application.
3. The Contractors/Bidders should quote his rates Both in Figures and words. Where there is any discrepancy between the rates in figures and words, the rates in words will be governed.
4. Contractors/Bidders must inspect the site to ascertain/familiar the site conditions, accessibility etc. before quoting the bid/tender.
5. Conditional and telegraphic tender shall not be accepted and rejected straightway. Tender received after due date and time will be rejected.
6. The contractor/firms should have to produce the details of works in hand in HP. PWD., and its position thereof along with applications.
7. The tender documents shall be issued to only those contractorsWho does not have more then two works in hand in any PWD Circle/ Division worth Rs.1.00crore each.
8. The contractor shall have to establish testing laboratory at site for the day to day testing of the material.
9. The offer shall remain valid up to 120 days.
10. Executive Engineer reserve the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons.

Adv. No.3638/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

देसी गाय ने दिलवाई राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

बिलासपुर/शैल। पीढ़ियों से चले आ रहे अपने पुश्तैनी व्यवसाय को न अपनाकर कुछ अलग करने की चाहत पाले 'आर्दश गुप्ता' का बचपन का सपना था कि वह कुछ ऐसा कर गुजरे कि उनकी अपनी अलग पहचान और नाम तो हो ही साथ में समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी हो जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित भी हो।

बिलासपुर जिला के सदर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत कोठीपुरा में 12 नवम्बर, 1978 को नन्द प्रकाश वोहरा के घर पैदा हुए बालक आर्दश गुप्ता के वाल्यावस्था के स्वप्न को 'गौवंश' ने न केवल साकार ही किया, अपितु केन्द्रीय 'कृषि एवं किसान कल्याण' मंत्री राधा मोहन सिंह के हाथों 'विश्व दुग्ध दिवस' के अवसर पर राष्ट्रीय कृषि विज्ञान भवन दिल्ली में पहाड़ी व उत्तर पूर्व क्षेत्र के राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, 2018 से पुरस्कृत करवाकर उनकी उपलब्धियों पर राष्ट्रीय स्तर पर मोहर भी लगवा दी।

वर्ष 1991 में मात्र एक गाय से आरम्भ किए गए दुग्ध उत्पादन के कार्य को आदर्श गुप्ता ने पशु पालन विभाग के मार्ग दर्शन और अपनी लग्न, परिश्रम और पारम्परिक सद्भावना के निर्वहण बल पर वर्तमान मे 150 से भी अधिक गौवंश तक पहुंचाकर स्वयं को किसानों के बीच एक आर्दश के रूप में भी स्थापित कर लिया है। जहां किसान व पशुपालक उनसे आधुनिक विधि से गौवंश पालने की भी जानकारियां प्राप्त करते हैं साथ ही बीस से भी अधिक परिवारों का गुजर बसर इस गौशाला के माध्यम से हो रहा है।

आर्दश गुप्ता की पांच बीघा से भी अधिक क्षेत्र में फैली गौशाला में सिंध की 'साहीवाल' राजस्थान की 'धारपारक' गुजरात की 'गिर' जर्सी और हिमाचल की देसी गिरी नस्ल की गायें प्रतिदिन चार सौ लीटर से भी अधिक दूध का उत्पादन कर रही है। गुणवत्ता और शुद्धता के चलते निरन्तर बढ़ रही दूध की मांग जिला के 'श्वेत क्रांति' अभियान को बल व पहचान दिलवानें के लिए कारगर भूमिका का निर्वहन कर रही है।

श्वेत क्रांति के संवाहक आर्दश गुप्ता की गौशाला की मुख्य विशेषता यह है कि यहां प्रदेश की विलुप्त हो रही भारत की सर्वश्रेष्ठ गिरी नस्ल की गाय के संरक्षण, संवर्धन के अतिरिक्त उस की उपयोगिता को प्रचारित करने पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। जिसके लिए इन्हें राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न के तृतीय पुरस्कार से वर्ष 2018 में सम्मानित भी किया गया। यह सुखद आश्चर्य है कि आदर्श गुप्ता गौवंश को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। यह प्रतिदिन अपनी गौशाला में 'गौवंश' से तीन चार बार संवाद भी करते है बीमार व गर्भवती गायों को स्वयं दवाईयां इन्जैक्शन के अतिरिक्त संतुलित आहार भी देते हैं। दूध देने में आयोग्य गौवंश के लिए फार्म के अलग हिस्से में निर्मित शैड़ में रखकर उनकी सेवा की जाती है।

आदर्श गुप्ता ने कहा कि जिला बिलासपुर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहां के हजारों परिवार दुग्ध सहकारिता समितियों से जुड़कर 'श्वेत क्रांति' को गति दे रहे हैं। अत्यधिक दुग्ध उत्पादन के लिए यद्यपि किसान हाई ब्रीड़ गौवंश को पालने में प्राथमिकता देते हैं लेकिन 'गुणों की खान' अमृत समान दूध देने वाली पहाड़ी गिरी गाय की ओर किसानों का रूझान कम हैं। आदर्श गुप्ता का सपना है कि प्रत्येक किसान पशुपालक के आगंन के खुंटे में पहाड़ी गिरी गाय का बसेरा हो ताकि हर भारतीय को शुद्ध गुणवत्तापूर्वक दूध मिल सके और किसानों को भरपूर फसल की पैदावार के लिए रसायनिक रहित प्राकृतिक गुणों से परिपूर्ण निशुल्क गोबर की खाद प्राप्त हो और अधिक से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो ताकि बेरोजगारी की समस्या पर लगाम लगे और किसान अपनी बंजर होती भूमि पर पुन: लहलहाती फसलों का अवलोकन कर सके।

दलाई लामा के कारण विश्व पर्यटन मानचित्र पर उभरा हिमाचल:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के लिए यह सौभाग्य की बात है कि महामहिम दलाई लामा ने निर्वासित तिब्बत सरकार के लिए हिमाचल प्रदेश को चुना है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात निर्वासित तिब्बत सरकार की संसद द्वारा आयोजित जलपान समारोह में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महामहिम दलाई लामा ने धर्मशाला को अपना घर चुना है, जिसके कारण यह दुनिया में पर्यटन आकर्षण का एक प्रमुख केन्द्र बनकर उभरा है। बड़ी संख्या में पर्यटक तथा दुनियाभर से आए उनके अनुयायी हर वर्ष धर्मशाला उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, जिसके कारण धर्मशाला विश्व पर्यटन मानचित्र पर आया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि भारत और तिब्बत की संस्कृति व परम्पराएं एक समान हैं तथा यह विश्व शांति के आवश्यक है कि यह दोनों समुदाय बेहतर तालमेल के साथ कार्य करें।

निर्वासित तिब्बत सरकार की संसद के अध्यक्ष पैमा जंगने ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उपाध्यक्ष येशी फुगसुक ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

पूर्व, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल, राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य और विधायकगण इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री 27 दिसम्बर को धर्मशाला में मेगा रैली की बढ़ाएंगे शोभा

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रदेश सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला में 27 दिसम्बर, 2018 को आयोजित होने वाली मेगा रैली की शोभा बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात धर्मशाला में प्रस्तावित रैली स्थलों का निरीक्षण करने के उपरान्त पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रैली के लिए एचपीसीए मैदान, पुलिस मैदान या सेल का स्टेडियम प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए हजारों लोग तथा बड़ी संख्या में लोग इस रैली में भाग लेंगे और इसे एक ऐतिहासिक आयोजन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर राज्य सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा।

जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता तथा प्रदेशभर से आए लोग रैली में भाग लेंगे और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय नेता, मंत्रीगण तथा प्रदेश के अन्य नेता इस अवसर की शोभा बढ़ाएंगे।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर, स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार, राज्य भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती, मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण मनीषा नन्दा, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

विधानसभा सत्र में हिमालयन रैजीमैंट बनाने के लिए प्रस्ताव पारित:महेन्द्र सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। सेना में भर्ती होने के इच्छुक प्रदेश के युवाओं के लिए मण्डी, कांगडा, हमीरपुर, बिलासपुर मैं कोचिंग सैंटर खोलने के प्रयास किए जा रहे है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को आर्मी में जाने के लिए तैयार किया जा सके। यह बात सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, बागवानी तथा सैनिक कल्याण मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने अल्फा सीनियर सकैंडरी स्कूल बरठीं में वीर सैनिक समान समारोह कि अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं की सेना में भर्ती के लिए अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभी हाल ही में विधानसभा सत्र में हिमालयन रैजीमैंट बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कोटे को भी बढ़ाने के प्रयास किए जाएगें ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवान सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर सके। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पूर्व सैनिकों को 16 हजार 500 करोड़ रूपए का वन रैंक वन पेंशन का तोहफा दिया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में नौजवानों के लिए ऑफिसर कोचिंग अकैडमी खोलने के भी प्रयास किए जा रहे है। इसके साथ ही सेना में भर्ती होने के लिए मण्डी, कांगडा, बिलासपुर और हमीरपुर में कोचिंग सैंटर खोले जाएगे जहां पर सेना में भर्ती होने के इच्छुक उम्मीदवारों को 3 माह का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से आर्मी स्कूल खोलने के भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवार के कल्याणार्थ अनेकों सुविधाएं प्रदान करके उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है।

उन्होंने विशेषकर माताओं से आग्रह करते हुए कहा कि बेटियों का ध्यान रखती हैं उसी प्रकार बेटों की दिनचर्या के उपर भी पूरा ध्यान दें ताकि वे किसी गलत आदत में न पड़े। उन्होंने कहा कि युवाओं को जागरूक करें कि वे अपनी क्षमता व ऊर्जा का उपयोग सामाजिक व रचनात्मक कार्यो के साथ-साथ राष्ट्र सेवा में लगाए।उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर अपनी एच्छिक निधि से 15 हजार रूपए देने की घोषणा की तथा स्कूल में बच्चों को पर्याप्त मात्रा में सम्बन्धित विभाग को 15 दिन के भीतर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

विधायक कटवाल ने कहा कि 16 दिसम्बर, 1971 को जब बंगलादेश का जन्म हुआ उस समय भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन वीर शहीदों की याद में प्रतिवर्ष 16 दिसम्बर को भारत-पाकिस्तान युद्ध विजय दिवस मनाया जाता है। उन्होंने वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि वीर शहीदों के जज्बे, शौर्य गाथाएं, वीर गाथाओं को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद करेंगी। उन्होंने कहा कि विजय दिवस इतिहास का वह पन्ना जिसको याद करके हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है।

पूर्व सैनिक कल्याण समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुबेदार प्रकाश चंद ने मुख्यातिथि तथा अन्य तिथियों का स्वागत करते हुए भारत- पाकिस्तान युद्ध की विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस युद्ध में देश के 3 हजार 843 जबकि हिमाचल प्रदेश के 190 सैनिकों ने मात्रभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहूति दी। पूर्व सैनिकों के हित के लिए मांग पत्र रखा।

इस अवसर पर मुख्यातिथि द्वारा कैप्टन रूप लाल (वीर चक्र), मेजर राकेश शर्मा (शोर्य चक्र), कैप्टन योगेन्द्र पाल (सेना मेडल), सुबेदार वी.आर भाटिया, सुबेदार हरि सिंह, हवलदार प्रकाश चंद, हवलदार कुलदीप, हवलदार सुशील कुमार, हवलदार मनोज कुमार, हवलदार लच्छू राम, हवलदार देश राज, हवलदार ओंकार सिंह, हवलदार जीत राम मन्हास, सुबेदार बलदेव शर्मा, कैप्टन अन्त राम (गोल्ड मेडल जिम्नास्टिक) तथा वीर नारियां कर्मी देवी, रत्नी देवी, मीरा देवी, सरवनों देवी, राजो देवी, सुनीता देवी को सम्मानित किया।

चिकित्सकों के पदों को भरने के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू

शिमला/शैल। राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में अनुबंध आधार पर चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरने के लिए कैम्पस वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। यह इंटरव्यू राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, आईजीएमसी शिमला तथा महर्षि मार्कण्डेश्वर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कुम्हारहट्टी (सोलन) के उन एमबीबीएस इंटर्नज के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिनकी इंटर्नशिप 31 दिसम्बर, 2018 को पूरी हो रही है।

स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के प्रवक्ता ने सूचित किया कि टांडा मेडिकल कॉलेज में साक्षात्कार 14 दिसम्बर, 2018 को, आईजीएमसी शिमला में 17 दिसम्बर, 2018 को तथा कुम्हारहट्टी मेडिकल कॉलेज में 29 दिसम्बर, 2018 को प्रात: 11.00 बजे से दोपहर बाद 2.00 बजे तक चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालयों में आयोजित किए जाएंगे।

अपने बारे में तुम जैसा सोचते हो तुम वैसे ही बन जाओगे, अगर तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तो तुम कमजोर बन जाओगे। उसी तरह अगर तुम खुद को शक्तिशाली सोचोगे, तो तुम शक्तिशाली होते जाओगे।।.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

चुनावी हार के आईने में भाजपा

पांच राज्यों के लिये हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को सभी में हार का सामना करना पड़ा है। जबकि कांग्रेस तीन राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा से सत्ता छीनने में सफल रही है। अन्य दो राज्यों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा से बहुत अच्छा रहा है। यह चुनाव भाजपा बनाम कांग्रेस ही हो गये थे। इन राज्यों में सपा और बसपा ने भी कांग्रेस से गठबन्धन नही किया था और इसी आधार पर मीडिया ने यह धारणा फैला दी थी कि कांग्रेस के लिये जीत आसान नही होगी। क्योंकि भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान स्वयं प्रधानमन्त्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमितशाह ने संभाल रखी थी। फिर उत्तरप्रदेश के मुख्यमन्त्री योगी इस चुनाव प्रचार का एक और बड़ा चेहरा बन गये थे। राम मन्दिर निर्माण को फिर केन्द्रिय मुद्दा बना दिया गया था। संघ प्रमुख ने भी यह कह दिया था कि अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इन्तजार नही किया जा सकता। सरकार पर इसके लिये अध्यादेश लाने का पूरा दवाब बना दिया गया था। राफेल डील पर लग रहे आरोपों की काट के लिये मिशेल का प्रत्यार्पण को बड़ा हथियार बना दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि इन राज्यों में जब कांग्रेस कोई नेता ही घोषित नही कर पायी है तो लोग किसे वोट देंगे। राहुल की छवि ''पप्पु'' से आगे नही बढ़ने दी जा रही थी। हर तरह का मीडिया पूरी तरह भाजपा के साथ खड़ा था। इसी के साथ भाजपा का अपना कोई ''आईटी सैल'' हर कुछ जनता में परोस रहा था। नेहरू गांधी परिवार की छवि और उसकी विरासत पर हर तरह का हमला किया जा रहा था। यह सब इसलिये किया जा रहा था क्योंकि देश को कांग्रेस मुक्त करने का संकल्प ले रखा था। फिर चुनाव के दौरान कुछ कांग्रेस नेताओं के ब्यानों को भी कांग्रेस के खिलाफ हथियार बनाकर प्रयोग किया गया। कांग्रेस की ओर से केवल राहूल गांधी पर ही सारा कुछ निर्भर कर रहा था। क्योंकि कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राहूल के नेतृत्व से स्वयं आश्वस्त नही थे। इस तरह एक चुनाव के लिये जो कुछ भी अपेक्षित रहता है उसमें हर तरह से भाजपा कांग्रेस पर भी भारी थी। लेकिन इतना सबकुछ होने के बावजूद कांग्रेस की जीत देश के लिये एक बहुत बड़ा सन्देश दे जाती है।

यह चुनाव परिणाम देश के भविष्य के प्रति बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर जाते हैं। यह देश बहुधर्मी, बहुभाषी और बहुजातिय है। इस देश में जब काका कालेश्वर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी और उसके लिये जो मानक उस समय तय किये गये थे उनमें आज भी बहुत बड़ा अन्तर नही आया है। जो भी अन्तर इस दौरान आया है उसके आधार पर आरक्षण को जाति से उठाकर आर्थिक आधार देने की बात की जा चुकी है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय भी अपनी मोहर लगा चुका है लेकिन क्या इसकी व्यवहार में अनुपालना हो पा रही है शायद नही। आरक्षण के खिलाफ यह देश वीपी सिंह के शासनकाल में बहुत आन्दोलन देख चुका है। जिसमें स्कूल के बच्चों तक ने आत्मदाह किये थे। जो लोग इस आन्दोलन को उस समय प्रायोजित कर रहे थे वह आज सत्ता में है। इन्ही लोगों के सामने आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और उसे संसद में विधेयक लाकर पलट दिया गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आरक्षण का समर्थन और विरोध केवल राजनीतिक लाभ के गणित के आधार पर किया जा रहा है उसमें वैचारिक स्पष्टता कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रही है। आज देश की जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि वह सब आसानी से समझ पा रही है और उसी समझ का परिणाम है यह चुनाव नतीजे।

इसी के साथ राम मन्दिर का मुद्दा भी आज देश की जनता के सामने स्पष्ट होता जा रहा है। राम मन्दिर निर्माण का आन्दोलन अब ज्यादा देर तक चुनावी हथकण्डा बनकर नही भुनाया जा सकेगा। मन्दिर के लिये जो अध्यादेश आज लाने का दबाव बनाया जा रहा है क्या वह सत्ता संभालते ही किया जा सकता था? कितने लम्बे अरसे से यह मामला अदालत में चल रहा है आज यह आरोप अदालत के सिर लगाया जा रहा है कि वह शीघ्र सुनवाई नही कर रही है। लेकिन यह नही बताया जा रहा है कि सरकार ने इसकी शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिये क्या पग उठाये? आज मुद्दा भी सरकार के खिलाफ जा रहा है। शायद ''श्री राम'' को भी यह पता चल गया है कि उन्हे केवल राजनीति के लिये ही उपयोग किया जा रहा है। इसी कारण से आज ''राम'' भी विमुख हो गये हैं। इस देश में करीब 25 करोड़ मुस्लिम आबादी है। पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयं कहा था कि मुस्लिमों के बिना देश संभव नही है। जब संघ प्रमुख भी यह मानते हैं तो फिर इनको भाजपा इनके अनुपात में इन्हे लोकसभा/विधानसभा में अपना उम्मीदवार क्यों नही बनाती है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि 25 करोड़ जनता के प्रति आपकी सोच क्या है। केन्द्र में मोदी सरकार का सत्ता में पांचवा साल है। भाजपा का यह दावा है कि सदस्यता के आधार पर वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यदि भाजपा का यह दावा जमीनी हकीकत है तो वह तेलंगाना और मिजोरम में क्यों हार गयी? उसका यहां प्रदर्शन कांग्रेस से भी नीचे क्यों रहा? क्या यहां भाजपा की सदस्यता नही है? क्या यहां पर भाजपा की स्वीकार्यता अभी तक नही बन पायी है और उसका सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा केवल मीडिया रिपोर्टो पर ही आधारित था? यही नहीं जिस राफेल डील पर सर्वोच्च न्यायालय से मिली क्लीनचिट को भुनाकर राहूल गांधी से देश से क्षमा मांगने की मांग की जा रही थी उसका जब राहूल और खडगे ने खुलासा कर दिया कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय से झूठ बोला गया है तब पूरी भाजपा तिलमिला उठी थी। लेकिन जब जमीन पर आये तब इसका दोष सर्वोच्च न्यायालय पर लगा दिया गया कि उसने उनके तर्क को गलत समझा। सरकार को शपथपत्र देकर सर्वोच्च न्यायालय से यह गलती सुधारने की गुहार लगानी पड़ी है। इससे यह प्रमाणित हो गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करके फैसला ले लिया गया। जो सीएजी रिपोर्ट बनी ही नहीं और पीएसी में गयी ही नहीं उसे अदालत ने गलती से कैसे मान लिया। यह दलील गले नहीं उतरती है। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय के लिये भी परीक्षा जैसी स्थिति पैदा हो गयी है क्योंकि देश की सुरक्षा के लिये भ्रष्टाचार से बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता और राफेल डील में भ्रष्टाचार होने का ही सबसे बड़ा आरोप है।

भाजपा की हार के लिए जिम्मेदार है केन्द्र सरकार की नीतिं

गौतम चौधरी

अभी हाल ही में संपन्न पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। हिन्दी प्रदेश, जो भाजपा की प्रयोग भूमि रही है–मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ से भाजपा चुनाव हार गयी है। हालांकि तेलंगाना और मिजोरम ने कांग्रेस को भी झटका दिया लेकिन कांग्रेस की इस हार को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। यह स्वाभाविक भी है। कांग्रेस की यह जीत सचमुच मं बड़ी जीत है। आपको बता दें कि इन तीन राज्यों में भाजपा का संगठन कांग्रेस की तुलना कई गुना मजबूत है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने वाले संगठन, राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती, स्वदेशी जागरण मंच, विद्या भारती, इसके अलावा भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा खड़े किए गए हजारों संगठन भाजपा की जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। यही नहीं भाजपा ने जमकर पैसे का भी यहां उपयोग किया है। इधर कांग्रेस के पास अब संगठन के नाम पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जमीन पर कांग्रेस का काम खत्म हो चुका है। सत्ता से बेदखल कांग्रेस पैसे खर्च करने के मामले में भी कमजोर पड़ रही थी, बावजूद इसके कांग्रेस ने भाजपा से सत्ता छीन ली। भाजपा की इस हार को हल्के में नही लिया जा सकता है।

हालांकि मैं इस बार चुनाव के समय कहीं नही गया लेकिन जो पत्रकार मित्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ एवं राजस्थान की रिपोर्टिंग में गए थे उनका आकलन था कि इन तीनों हिन्दी राज्यों में भाजपा बुरी तरह हारेगी। जनता का आक्रोश साफ दिख रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों के किसान तसल्ली से कांग्रेस शासन आने का इंतजार कर रहे थे। मध्य प्रदेश में तो किसान दो साल से अपना अन्न जमा करके रखे हुए हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तब वे अन्न बेचेंगे। उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस के शासन में किसानों का कर्ज माफ होगा और फसल की पूरी कीमत उनके खाते में जाएगी। मेरे पास एक दूसरा उदाहरण भी है। जब मैं गुजरात चुनाव के दौरान अहमदाबाद गया था तो वहां इंदौर के एक कपड़ा व्यापारी मिले थे। वे गुजरात में भाजपा के खिलाफ प्रचार करने आए थे। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के आठ करोड़ खुदरा व्यापारियों को जबरदस्ती व्यापार करने से रोकने की योजना बना दी है। ये दो उदाहरण ऐसे हैं जो कांग्रेस की ताकत बन गयी और भाजपा के संगठन की ताकत उसके सामने कमजोर पड़ गयी।

मेरी व्यक्तिगत राय है कि भाजपा की इस हार के लिए किसानों की नाराजगी के साथ ही साथ व्यापारियों की नाराजगी जिम्मेवार है। जानकारों से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के प्रति लोगों का गुस्सा नहीं के बराबर था लेकिन शिवराज की हार के लिए नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की नीतियों को जिम्मेवार ठहराई जा रही है। सरकार लगातार दावा कर रही है कि उसने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। सरकार फसल बीमा लागू करने और समर्थन मूल्य डेढ गुणा करने का दावा भी करती है लेकिन वास्तविकता यह है कि इससे किसानों को बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। उलटा घाटा हो गया। फसल बीमा से बीमा कंपनियों को फायदा हुआ, जबकि डेढ गुणा समर्थन मूल्य का फायदा उर्वरक, बीज, कीटनाश बनाने वाली कंपनियां उठा ले गयी। सरकार ने जैसे ही समर्थन मूल्य डेढ गुणा बढ़ाने की घोषणा की, दो दिनों के अंदर उर्वरक कंपनियों ने उर्वरक उत्पाद पर डेढ गुणा कीमत बढ़ा दी। इसका खामियाजा भी किसान भुगत रहे हैं। ग्रामीण मतदाता इसके कारण भाजपा से दूर चले गए।

इधर शहरी मतदाता जो भाजपा के आधार मतदाता कहे जाते थे वे नोटबंदी और जीएसटी के कारण भाजपा के प्रति आक्रामक हो गए। जिस समय नोटबंदी की घोषणा हुई थी उस समय, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के आरएसएस से संबंधित व्यापारियों की मैंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उसमें उन व्यापारियों ने साफ–साफ कहा था कि यह भाजपा और संघ दोनों के लिए घातक साबित होगा। संगठन की सुदृढता के कारण भाजपा उसके बाद कई चुनाव जीत गयी लेकिन अब उसका प्रतिफल दिखने लगा है। भाजपा सरकार ने एक और गलत काम किया, जो व्यापारियों में डर पैदा कर रहा है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने खुदरा बाजार में 100 प्रतिशत का पूंजीनिवेश लागू कर दिया। हमारे देश में लगभग 8 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं। इन व्यापारियों के यहां कम से तीन से चार लोग नौकरी करते हैं। इन व्यापारियों और उनके यहां नौकरी करने वालों में यह संदेश गया कि सरकार उनके धंधे को छीन कर विदेशी कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करने जा रही है। शहरी मतदाता इस बात से काफी डरे हुए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ भी हैं। इसके साथ ही भाजपा और सहयोगी संगठन कई स्थानों पर दंगों के मामले में भी एक्सपोज हो चुके हैं। शहरी मतदाताओं को इस बात का भी डर सता रहा है।

इधर नीतिगत मामलों में भी भाजपा ने कमजोर रुख अपनाया। जैसे – धारा 370, राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण, समान नागरिक संहिता, बांग्लादेशी घुसपैठ, स्वादेश एवं स्वावलंबन आदि ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भाजपा और संघ परिवार का बड़ा ही सकारात्मक रुख रहता था लेकिन जब भाजपा सत्ता में आयी तो इन तमाम मुद्दों से कन्नी काटती रही। कभी भी जमकर इन मुद्दों पर काम नहीं किया। इसका संदेश भाजपा के समर्थकों के बीच गया और यह भाजपा के लिए खतरनाक साबित हुआ।

मसलन रोजगार के मामले में भी भाजपा फिसिड्डी साबित हुई। आर्थिक विकास के मामले में तो सरकार का रिपोर्ट–कार्ड बेहद बुरा है। विदेश नीति के मामले में सरकार का ढुलमुल रवैया विरोधियों को फायदा पहुंचा गया। चीन भारत के पड़ोस में अपनी रणनीत में सफल होता चला गया। यह भी भारत के राष्ट्रवादी सोच वालों के लिए निराशाजनक साबित हुआ। जिसका खामियाजा अब भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। देश के सरकारी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, बैंककर्मी और सैन्यकर्मियों को भी भाजपा सरकार ने नाराज कर दिया है। हर कर्मचारी इस बात से डरे हुए हैं कि कब सरकार उनके खिलाफ कोई घोषणा कर दे। सरकारी कर्मचारियों के भविष्यनिधी का पैसा शेयर बाजार में लगाने की बात से भी कर्मचारी खासे नाराज हैं। इसका भी सरकार को इन तीन राज्यों में खामियाजा भुगतना पड़ा है।

भाजपा की सरकार ने सामाजिक ताने–बाने को भी खंडित किया है। हरियाणा भाजपा सरकार के एडिसनल एडवोकेट जनरल, कोट परिसर में एक आरोपी को सहयोग करते देखे गए। इस पर जज साहब ने संज्ञान लिया। ऐसे कई उदाहरण है जिसमें भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं ने देश के अल्पसंख्यकों एवं दलितों को प्रताड़ित करने का काम किया। यही कारण है कि इन दो समाज के लोग भाजपा और संघ परिवार के खिलाफ हो गए हैं और संयुक्त रूप से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केन्द्र सरकार ने एससी/एसटी एक्ट संसद में पारित करवा दिया। इसके कारण भाजपा के साथ जुड़े सवर्ण कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ हो गए हैं। भाजपा के एक राष्ट्रीय सवर्ण ने बताया कि तीनों प्रदेशों में नोटा में जो वोट गया है वह भाजपा का ही वोट था जो उक्त एक्ट के कारण नाराज थे और नोटा का बटन दबा दिए। यह भी भाजपा के खिलाफ गया।

कुल मिलाकर देखें तो इन तीनों राज्यों की हार के लिए स्थानीय मुद्दे कम अपितु राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा जिम्मेदार हैं। हालांकि अब तो सारा ठिकड़ा स्थानीय नेतृत्व पर ही फोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कुछ हद तक यह सही भी है लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव के अंतिम दिन तक केन्द्रीय मुद्दे व किसानों का आन्दोलन हावी रहा। इसलिए अगर यह कहा जाए कि इस हार के लिए नरेन्द्र मोदी की नीति जिम्मेदार है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

जनादेश ने लोकतंत्र के चौराहे पर ला खड़ा किया साहेब को...

पुण्य प्रसून बाजपेयी

आसान है कहना कि 2014 में उगा सितारा 2019 में डूब जायेगा । ये भी कहना आसान है पहली बार किसान-मजदूर-बेरोजगारी के समुद्दे सतह पर आये तो शहरी चकाचौंध तले विकास का रंग फिका पड गया। ये कहना भी आसान है कि बीजेपी आंकडो के लिहाज से चाहे विस्तार पाती रही लेकिन अपने ही दायरे में इतनी सिमटी की मोदी – शाह – जेटली से आगे देख नही पायी । और ये भी कहना आसान है कि साल भर पहले कांग्रेस की कमान संभालने वाले राहुल गांधी ने पप्पू से राहुल के सफर को जिस परिपक्वता के साथ पूरा किया उसमें कांग्रेस के दिन बहुरने दिखायी देने लग गये। लेकिन सबसे मुश्किल है अब ये समझना कि जिस लोकतंत्र की धज्जियां दिल्ली में उडायी गई उसके छांव तले राजस्थान, छत्तिसगढ़ और मध्यप्रेदश कैसे आ गये। और अब क्या 2019 के फेर में लोकतंत्र और ज्यादा लहूलुहान होगा। क्योंकि जहां जहां दाव पर दिल्ली थी वहां वहां सबसे बुरी हार बीजेपी की हुई। छत्तिसगढ में अडानी के प्रोजेक्ट है तो रुपया पानी की तरह बहाया गया। पर जनादेश की आंधी ऐसी चली कि तीन बार की रमन सरकार ही बह गई। मध्यप्रदेश के इंदौर और भोपाल सरीखे शहरी इलाको में भी बीजेपी को जनता ने मात दे दी। जहां की सीट और कोई नहीं अमित शाह ही तय कर रहे थे। और राजस्थान में जहां जहां वसुंधरा को धुल चटाने के लिये मोदी-शाह की जोडी गई वहां वहां वसुंधरा ने किला बचाया और जिन 42 सीटों को दिल्ली में बैठकर अमित शाह ने तय किया उसमें से 34 सीटों पर बीजेपी की हार हो गई। तो क्या वाकई 2014 की जीत के नशे में 2019 की जीत तय करने के लिये बीजेपी के तीन मुख्यमंत्रियो का बलिदान हुआ। या फिर कांग्रेस ने वाकई पसीना बहाया और जमीनी स्तर पर जुडे कार्यकर्त्ताओ को महत्ता देकर अपने आलाकमान के पिरामिड को इस बार पलट दिया। यानी ना तो पैराशूट उम्मीदवार और ना ही बंद कमरों के निर्णयो को महत्व। तो क्या बूथ दर बूथ और पन्ने दर पन्ने की सोच तले पन्ना प्रमुख की रणनीति जो शाह बनाते रहे वह इस बार टूट गया। हो सकता है ये सारे आंकलन अब शुरु हो लेकिन महज चार महीने बाद ही देश को जिस आम चुनाव के समर में कूदना है उसकी बिसात कैसी होगी और इन तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत या बीजेपी के हार कौन सा नया समीकरण तैयार कर देगी अब नजरें तो इसी पर हर किसी की होगी।

हां, तेलंगाना में काग्रेस की हार से ज्यादा चन्द्रबाबू के बेअसर होने ने उस लकीर को चाहे अनचाहे मजबूत कर दिया कि अब गठंबधन की शर्ते क्षत्रप नहीं कांग्रेस तय करेगी। यानी जनादेश ने पांच सवालो को जन्म दे दिया है। पहला, अब मोदी को चेहरा बनाकर प्रेजीडेन्शिल फार्मेट की सोच की खुमारी बीजेपी से उतर जायेगी। दूसरा, मोदी ठीक है पर विकल्प कोई नहीं की खाली जगह पर ठसक के साथ राहुल गांधी नजर आयेगें। तीसरा, दलित वोट बैंक की एकमात्र नेत्री मायावती नहीं है और 2019 में मायावती के सौदेबाजी का दायरा बेहद सिमट गया। चौथा, महागठबंधन के नेता के तौर पर राहुल गांधी को खारिज करने की स्थिति में कोई नही होगा। पांचवा, बीजेपी के सहयोगी छिटकेगें और शिवसेना की सौदेबादी का दायरा ना सिर्फ बीजेपी को मुश्किल में डालेगा बल्कि शिवसेना मोदी पर सीधा हमला बोलेगी। तो क्या वाकई कांग्रेस के लिये अच्छे दिनों की आहट और बीजेपी के बुरे दिन की शुरूआत हो गई। अगर इस सोच को भी सही मान लें तो भी कुछ सवालों का जवाब जो जनता जनादेश के जरीये दे चुकी है उसे जुंबा कौन सी सत्ता दे पायेगी ये अपने आप में सवाल है। मसलन राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तिसगढ तीनों सत्ता धाटे के साथ कांग्रेस को मिल रही है । यानी सत्ता पर कर्ज है। तीन राज्यो में किसान-मजदूर-युवा बेरोजगार बेहाल हैं। तीनों राज्यो में औद्योगिक विकास ठप पडा है। तीनों राज्यो में खनिज संसाधनो की लूट चरम पर है । मध्यप्रदेश और छतिसगढ़ में तो संघ के स्वयसेवकों की टोलिया का कब्जा सरकारी संस्थानो से लेकर सिस्टम के हर पुर्जे पर है । और सबसे बडी बात तो ये है कि मौजूदा दौर में जो खटास राजनीतिक तौर पर उभरी वह सिर्फ ब्यानबाजी या राजनीतिक हमले भर की नही रही। बल्कि सीबीआई और इनकमटेक्स के अधिकारियो ने कांग्रेसी पर मामला भी दर्ज किया और छापे भी मारे। कांग्रेस को फाइनेन्स करने वाले छत्तिसगढ़ के 27 और मध्यप्रदेश के 36 लोगों पर दिल्ली से सीबीआई और इनकमटेक्स के छापे पडे। यानी राजनीतिक तौर तरीके पारंपरिक चेहरे वाले रहे नहीं है। तो ऐसे में सत्ता परिवर्तन राज्य में जिस तल्खी के साथ उभरेगें उसमें इस बात का इंतजार करना होगा कि अब कांग्रेस के लिये संघ का मतलब सामाजिक सांस्कृतिक संगठन भर नहीं होगा। लेकिन बात यही नहीं रुकती क्योकि मोदी भी समझ रहे है और राहुल गांधी भी जान रहे हैं कि अगले तीन महीने की सत्ता 2019 की बिसात को तय करेगी। यानी सत्ता चलाने के तौर तरीके बेहद मायने रखेगें। खासकर आर्थिक हालात और सिस्टम का काम करना। मोदी के सामने अंतरिम बजट सबसे बडी चुनौती है। तो कांग्रेस के सामने नोटबंदी के बाद असंगठित क्षेत्र को पटरी पर लाने और ग्रामिणों के हालत में सुधार तत्काल लाने की चुनौती है । और संयोग से इनकी तादाद सबसे ज्यादा उन्हीं तीन राज्यो में है जहां कांग्रेस को जीत मिली है। फिर भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाकर 2014 में जिस तरह बार बार मोदी ने कांग्रेस को घेरा अब इन्ही तीन राज्यों में भ्रष्टाचार के मुद्दों के आसरे कांग्रेस बिना देर किये बीजेपी को घेरेगी। मध्यप्रदेश का व्यापम घोटाला हो या वसुंधरा का ललित मोदी के साथ मिलकर खेल करना या फिर रमन सिंह का पनामा पेपर। और इस रास्ते को सटीक तरह से चलाने के लिये तीनों राज्यों में जो तीन चेहरे कांग्रेस में सबसे फिट हैं उसमें मध्यप्रदेश में कमलनाथ । तो राजस्थान में सचिन पायलट और छत्तिसगढ में भूपेश बधेल ही फिट बैठते है। और ये तिगडी कांग्रेसी ओल्ड गार्ड और युवा को भी बैलेंस करती है। और बधेल के जरीये रमन सिंह या छत्तिसगढ़ में अडानी के प्रोजक्ट पर भी लगाम लगाने की ताकत रखती है । पर इस कडी में आखरी सवाल यही है कि अब शिवराज, रमन सिंह और वसुंधरा का क्या होगा। या फिर मोदी – शाह की जोडी अब कौन सी बिसात बिछायेगी या फिर मोदी सत्ता कौन सा तुरुप का पत्ता देश के सामने फेकेगी जिससे उनमें है ये मई 2019 तक बरकरार रहे। या फिर बीजोपी के भीतर से वाकई कोई अवाज उठेगी या संघ परिवार जागेगा। लेकिन ध्यान दें तो कोई विकल्प अब बीजेपी के भीतर नहीं है । मोदी के बाद दूसरी कतार के नेता ऐसे है जो अपना चुनाव नही जीत सकते है या फिर उनकी कोई पहचान किसी राज्य तो दूर किसी लोकसभा सीट तक की नही है। मसलन, अरुण जेटली , धर्मेन्द्र प्रधान , पियूष गोयल या निर्माला सीमारमण। और इस कडी में हारे हुये मुख्यमंत्रियो को अमित शाह कौन सी जगह देगें ये भी सवाल है। यानी जनादेश ने साफ तौर पर बतलाया है कि जादू या जुमले से देश चलता नहीं और मंदिर नहीं सवाल पेट का होगा । सिस्टम गढा नही जाती बल्कि सवैधानिक संस्थाओं के जरीये चलाना आना चाहिये। शायद इसीलिये पांच राज्यों के जनादेश ने मोदी को लोकतंत्र के चौराहे पर ला खडा किया है।

मानवाधिकार दिवस

समय है आत्ममंथन करने का

हम आज 21 वीं सदी में लोकतांत्रिक सरकारों और मानवाधिकार आयोग जैसे वैश्विक संगठनों के होते हुए भी असफल हैं तो समय आत्ममंथन करने का है। अपनी गलतियों से सीखने का है, उन्हें सुधारने का है। –डॉ. नीलम महेंद्र–

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सम्पूर्ण विश्व में मानव समाज एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। यह वो समय था जब मानव सभ्यता और मानवता दोनों ही शर्मसार हो रही थी। क्योंकि युद्ध समाप्त होने के बाद भी गरीब और असहायों पर अत्याचार, जुल्म, हिंसा और भेदभाव जारी थे। यही वो परिस्थितियाँ थी जब संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक मानव के मनुष्य होने के उसके मूलभूत अधिकारों की जरूरत को समझा और यूनीवर्सल मानव अधिकारों की रूपरेखा को ड्राफ्ट किया जिसे 10 दिसम्बर 1948 को अपनाया गया। इसमें मानव समुदाय के लिए राष्ट्रीयता, लिंग, धर्म, भाषा और अन्य किसी आधार पर बिना भेदभाव किए उनके बुनियादी अधिकार सुनिश्चित किए गए। इस ड्राफ्ट को औपचारिक रूप से 4 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण अधिवेशन में लाया गया। तब इसे सभी देशों और संगठनों को अपने अपने तरीके से मनाने के लिए कहा गया। भारत में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून लागू किया गया और 12 अक्तूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ।

हालांकि मानवाधिकारों के अन्तर्गत आने वाले अधिकांश अधिकार हमारे वो मौलिक अधिकार हैं जो हमारा संविधान हमें देता है, बल्कि हर देश का संविधान अपने नागरिकों को देता है। तो यह प्रश्न लाज़मी है कि फिर मानवधिकारों की आवश्यकता क्यों पढ़ी? दरसअल संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार उस देश तक ही सीमित होते हैं क्योंकि संविधान केवल देश का होता है इसलिए वो केवल देश की सीमाओं के अंदर ही लागू होता है। जबकि मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिए गए हैं इसलिए विश्व के हर हिस्से में लागू होते हैं।

भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन भले ही 1993 में किया गया लेकिन इसके बारे में इस देश के आम आदमी ने हाल के कुछ वर्षों में ही जाना जब उसने अखबारों और न्यूज़ चैनलों में आतंकवादियों और कश्मीर में सेना पर पत्थर बरसाने वालों के मानवाधिकारों के हनन के बारे में सुना।

यह इस देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस देश में मानव अधिकारों की बात उन मानवों के लिए उठाई जाती रही है जिनमें मानवता ही नही पाई जाती।

इससे भी अधिक खेदजनक यह है कि जिस मानव को ध्यान में रख कर इन अधिकारों की रूपरेखा तय की गई थी उस मानव की कहीं बात नही होती और जिन अधिकारों को दिलाने के लिए इस आयोग का गठन हुआ था उन अधिकारों का कोई नामोनिशां नही दिखाई देता।

जैसे मानवाधिकारों के अंतर्गत हर मानव को प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार है लेकिन अपने ही देश में हम देख रहे हैं कि देश की राजधानी समेत न जाने कितने ही शहरों में रहने वाले लोग इस कदर प्रदूषित वातावरण में रहने के लिए विवश हैं कि अब उनके स्वास्थ्य पर ही बन आई है।

इसी प्रकार मानवाधिकार आयोग यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को भोजन मिले, कहा जा सकता है कि इन अधिकारों की फेहरिस्त में मानव के भोजन के अधिकार को प्रमुखता से रखा गया है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में अब भी 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता है। वैश्विक सूचकांक में 119 देशों में भारत 100 वें पायदान पर है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में हर साल कुपोषण से हज़ारों बच्चों की जान चली जाती है। क्या इनके मानवधिकारों की कभी कोई बात होगी ?

पीने के लिए साफ पानी पर हर मानव का अधिकार है। लेकिन आप इसे क्या कहेंगे कि साफ पानी की बात तो छोड़ ही दीजिए, आज भी इस देश के कई हिस्सों में लोग पानी तक के मोहताज हैं?

जब ताज़ी हवा, शुद्ध जल और पेट भरने को भोजन जैसी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं और अधिकारों की पूर्ति करने में हम आज 21 वीं सदी में लोकतांत्रिक सरकारों और मानवाधिकार आयोग जैसे वैश्विक संगठनों के होते हुए भी असफल हैं तो समय आत्ममंथन करने का है। अपनी गलतियों से सीखने का है, उन्हें सुधारने का है।

अब समय इस बात को समझने का है कि आखिर भूल कहाँ हैं?

भूल दरअसल **''अधिकार''** के मूलभूत विचार में है। क्योंकि जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो बात लेने की होती है और मानसिकता भी केवल प्राप्त करने की रहती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम कर्तव्यों की बात करेंगे तो विचार देने के आएंगे, मानसिकता अपनी योग्यता अनुसार अपना योगदान देने की आएगी।

इसलिए अगर हम सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो बात अधिकारों की नहीं कर्तव्यों की करनी होगी। जब इस पृथ्वी का हर मनुष्य अपने अधिकारों से अधिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होगा तो अपने आप ही एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करेगा।

प्रदेश में बढ़ते नशे पर सरकार की रिपोर्ट

शिमला/शैल। प्रदेश में बढ़ती नशे की प्रवृति एक गंभीर समस्या बन चुकी है और युवा पीढ़ी विशेष रूप से इसका शिकार होती जा रही है। इस समस्या पर विधानसभा के धर्मशाला में आयोजित शीत सत्र में विशेष रूप से चर्चा की गई। नियम 130 के तहत माननीय सदस्यों राकेश पठानिया, बलवीर सिंह विक्रम जरयाल और परमजीत सिंह पम्मी ने सदन में इस मुद्दे को उठाया। इस पर सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट सदन में रखी। इस रिपोर्ट का यथास्थिति पाठकों के सामने रखा जा रहा है।

नशा करने की प्रवृति एक विश्वव्यापी समस्या है तथा इसकी रोकथाम करना एवं इसके दुष्परिणामों से निपटना भारत सहित सभी देशों के लिए एक गम्भीर चुनौती है। उत्तर भारत में भी विशेषकर पंजाब में इसका अधिक प्रभाव है। पंजाब से इसकी जड़ें हिमाचल प्रदेश में भी अपने पाँव पसार चुकी है। हमारे प्रदेश का युवा भी इसकी चपेट में आ चुका है। समय रहते यदि इस समस्या का जड़ से उन्मूलन नहीं किया गया तथा इसकी रोकथाम नहीं की गई तो इसके दूरगामी दुष्परिणाम भुगतने पड़ेगें जो न केवल हमारे देश के सामाजिक ढांचे को खोखला कर देंगे वरन आने वाली पीढ़ियों को नशे का आदि बना कर उनकी उत्पादकता नगण्य करके देश की अर्थ व्यवस्था को भी ह्रास की तरफ ले जाएंगे। देश तथा प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था पर भी इस नशा करने की प्रवृति का प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है । नशे के सेवन से देश में हर वर्ष करीब 2 लाख मौतें होती हैं तथा सामाजिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं पर भी इसका अवांछित दबाव पड़ता है । हिमाचल प्रदेश सरकार भी नशाखोरी की प्रवृति से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की समस्याओं से निपटने के प्रति काफी संवेदनशील एवं जागरूक है इससे निपटने के लिए चहुँमुखी प्रयास कर रही है। जिनमें से निम्नलिखित पग विषेश रूप से उल्लेखित है:-

जब्त किए गए मादक पदार्थ	2017 30.11.2017 तक	2018 30.11.2018 तक
चरस	280.147 कि.ग्रा.	43.692 कि.ग्रा.
अफ़ीम	7.995 कि.ग्रा.	6.576 कि.ग्रा.
गांजा	148.265 कि.ग्रा.	21.845 कि.ग्रा.
हेरोइन	3.397 कि.ग्रा.	7.180 कि.ग्रा.
कोकीन	74 ग्राम	71.83 ग्राम
चूरा पोस्त	483.056 कि.ग्रा.	532.184 कि.ग्रा.
नशे की गोलियां एवं कैप्सूल	232425	114618
इंजेक्शन	53	1097
सिरप	1646	1021

1. नशीले पदार्थो की आपूर्ति को कम करने की दिशा में कदम:-

i) मादक पदार्थ व स्वापक औषधि अधिनियम के प्रावधानों को कठोरता से लागू किया जा रहा है। वर्ष 2018 में 30.11.2018 तक एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत कुल 1233 अभियोग पंजीकृत किए गए जो पिछले वर्ष की तुलना में 286 अधिक हैं। ड्रग माफिया के विरूद्ध चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए इस वर्ष दिनांक 30.11.2018 तक निम्नलिखित अवैध मादक पदार्थो को जब्त किया:-

ii) अवैध भांग व अफीम की फसलों को नष्ट करने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। इस वर्ष भी अवैध भांग व अफीम की फसलों को नष्ट करने के लिए जिला स्तर पर उप-पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन स्पैशल टास्क फोर्स (एस.टी.एफ) का गठन किया गया है जो निरंतर अवैध भांग व अफीम की फसलों को नष्ट कर रही हैं। वर्ष 2018 में 21,534 बीघा में भांग की अवैध खेती नष्ट की गई तथा 1365 बीघा अफीम की अवैध खेती नष्ट की गई है।

iii) स्वास्थ्य विभाग के औषधि नियन्त्रकों द्वारा स्कूल एवं कॉलेज के समीप स्थित दवा की एवं अन्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है ताकि वह बिना चिकित्सक परामर्श के नशे वाली औषधि का विक्रय न कर सकें । सहायक मादक पदार्थ नियन्त्रक (Asstt. Drug Controller) स्वास्थ्य विभाग द्वारा माह जुलाई और अगस्त, 2018 में शैक्षणिक संस्थाओं के समीप 215 दवा की दुकानों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 06 प्रकरणों में अनियमितताएं पाई गई। 02 दुकानों के लाईसैंस निरस्त कर दिए गए हैं तथा 04 में जांच जारी है ।

iv)इसी श्रृंखला मे प्रदेश के दवा नियंत्रको द्वारा औषधि विक्रेताओं तथा उत्पादकों द्वारा बिना लाईसेंस औषधि बेचने पर भी निगरानी रखी जा रही है। माह अप्रैल, 2018 से माह नवम्बर की अवधि मे 556 ऐसे स्थानों का निरीक्षण किया गया तथा 53 अनियमिताएं पाई गई। इनमें से 36 केसों मे ड्रग जब्त कर ली गई तथा कानूनी कार्यवाही की जा रही है। पांच प्रकरणो मे लाईसेंस निरस्त/निलम्बित कर दिये गये। 12 अन्य प्रकरणों में जांच जारी है।

v) उतर भारत के राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड, दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री स्तर की बैठक का आयोजन दिनांक 20.08.2018 को पंचकूला में किया गया ताकि सभी राज्य इस दिशा में परस्पर सहयोग कर संगठित होकर नशे के खिलाफ़ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस विषय पर सूचनाओं के आदान प्रदान हेतू प्रत्येक प्रदेश में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा पंचकूला में इस संदर्भ में एक विशेष सचिवालय खोलने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई है।

vi)नषीले पदार्थो की रोकथाम के लिए हर जिला में एक विशेष दल का गठन किया गया है जो उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की देखरेख में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है।

vii) प्रदेश में स्टेट नारकोटिक्स क्राईम कंट्रोल (एस.एन.सी.सी) की तीन सुजित रेंज कुल्लू, कांगड़ा तथा शिमला में प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं। जिलों में गठित सभी विशेष दल के प्रभारियों व राज्य स्वापक अपराध नियन्त्रण के प्रभारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने क्षेत्रों में बस अडडों, रेलवे स्टेशनों व हवाई अड्डों व सीमान्त क्षेत्रों पर विशेष चौकसी बरतें ताकि बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में व हिमाचल से बाहरी राज्यो में नशे की आवाजाही पर अंकुश लगाया जा सके।

viii) नशा तस्करों द्वारा अर्जित चल/अचल सम्पति का एन.डी.पी.एस. की धारा 68 के अन्तर्गत वित्तीय अन्वेशण करके, उनकी सूचना सक्षम प्राधिकरण को भेजी जा रही है। उपरोक्त तीन वर्षो में जिला कांगडा में विभिन्न नशा तस्करों की कुल 4,47,45,132/- की चल/अचल सम्पति को फीज करने के आदेश सक्षम प्राधिकरण से प्राप्त हो चुके हैं।

ix) NDPS Act, 1985 की धारा 37(b) में उचित संशोधन वर्तमान सत्र में आबकरी एवं कराधान विभाग द्वारा लाया जा रहा है, जिसमें सभी अपराधों को इस अधिनियम में गैर जमानती बनाया जा सके।

2. नशीले पदार्थ की मांग को कम करने की दिशा में कदम:- (i) नशाखोरी के विरूद्ध आम जनता विशेषकर युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2018 में 3,75,455 व्यक्तियों को राज्य पुलिस द्वारा नशा निवारण का संदेश देकर सजग किया गया।

ii) हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य में नशाखोरी की समस्या की रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक थाना में माह अगस्त, 2018 से एक नशा निवारण समिति का गठन किया गया है जिसमें समाज के समस्त वर्गो का प्रतिनिधित्व है जो प्रभारी थाना की देखरेख में कार्य कर रही है। नशा निवारण समिति द्वारा माह अक्तूबर 2018 तक प्रदेश भर में 724 मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। नशा निवारण समिति के सदस्यों की सूचना के आधार पर 22 अभियोग एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत पंजीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 1875 स्कूलों व 94 महाविद्यालयों के कुल 285482 विद्यार्थियों को, 1994 पंचायतों के कुल 99012 लोगों, 1015 महिलामण्डलों की 14631 महिलाओं व 286 स्वयं सहायता समूहों के 3330 लोगों को जागरूक किया गया।

iii) प्रिंट तथा ईलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मादक पदार्थो के बारे जानकारी प्रदान करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। हि.प्र. पुलिस व राज्य एस.एन.सी.सी. के ट्वीटर व फेसबुक अकाउंट द्वारा युवा पीढ़ी को मादक पदार्थो के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विशिष्ट हस्तियों द्वारा संदेश देकर जागरूक किया जा रहा है। पैंम्फलैट व पोस्टरों के माध्यम से भी मादक पदार्थो के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों, कालेजों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष जागरूकता अभियानों के आयोजन किए जा रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 जून को अर्न्तराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के रूप में मनाया गया है जिसमें विभिन्न षिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की सहभागिता से विभिन्न प्रकार की खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, इस के अतिरिक्त हाफ मैराथन का आयोजन भी किया गया।

iv)प्रदेश के छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रखने को सरकार सर्वाधिक महत्व दे रही है। शैक्षणिक संस्थानो में नशा निवारण के लिए इन संस्थानों में बिना वर्दी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी तैनात किये जाते हैं जो कि वहां घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों और गाड़ियों पर नजर रखते हैं ताकि वे वहां उपस्थित विद्यार्थियों को नशीले पदार्थ उपलब्ध न करवा सके। इन संस्थानों के आस-पास स्थित ढ़ाबो पर भी पुलिस द्वारा मादक पदार्थो की चैकिंग की जाती है। शैक्षणिक संस्थानों को CCTV कैमरे लगवाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।

v) राज्य का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग नशा निवारण अभियान मे पूर्ण रूप से शामिल है तथा उसके द्वारा समय-2 पर नशे की रोकथाम सम्बंधी विज्ञापन समाचार पत्रों में जारी किये जाते है। इस सन्दर्भ मे रेडियो जिंगल्स भी तैयार कर लिये गये है जिनको शीघ्र ही दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य निजी चैनलों पर प्रसारित करने का प्रस्ताव है। नशे की रोकथाम के लिये विभाग की नाट्य इकाईयों और अन्य पंजीकृत नाट्य दलों द्वारा ड्रामा शो एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। मंत्रीगण से संबद्ध जनसम्पर्क अधिकारियों एवं समस्त जिला लोक अधिकारियों को समारोह में अतिविशिष्ट व्यक्तियों को भाषण मे नशे के रोकथाम सम्बंधी संदेश सम्मिलित करने का आग्रह करने के निर्देश दिये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित गिरिराज में समय-2 पर नशे के खिलाफ लेख व समाचारों को प्रकाशन किया जा रहा है। निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) एवं निदेशक (उच्च शिक्षा) से स्कूलों मे प्रात: काल प्रार्थना सभा के दौरान नशे की रोकथाम सम्बंधी जानकारी देने तथा निबन्ध लेखन, चित्रकारी और वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने का आग्रह किया गया है। निदेशक ग्रामीण विकास से महिला मोर्चा एवं युवक मोर्चा को नशे की रोकथाम सम्बंधी अभियान में सम्मिलित करने का आग्रह किया गया है।

vi)एक राज्यस्तरीय जागरूकता अभियान मुख्यमंत्री ने दिनांक 05.12.2018 को बद्दी से आरंभ किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण शिक्षण संस्थानों में जाकर युवा पीढ़ी को जागरूक करेंगे।

vii) नशे की रोकथाम के लिए नाट्य इकाइयों और अन्य पंजीकृत नाट्य दलों द्वारा ड्रामा शो एंव नुक्कड़ नाटक इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। समय-समय पर नशे के खिलाफ लेख व समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं। महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा को नशे की रोकथाम सम्बन्धी अभियान में सम्मिलित कर लिया गया है। सभी जिलाधीशों को पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों एवं न्यायियक अधिकारियों के स्तर की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन करने के आदेश दे दिए गये।

3. व्यसन मुक्ति केन्द्रों की स्थापना एवं मज़बूती हेतू पग। (i)नशा निवारण समितियों के माध्यम से नशे की लत में पड़े बच्चों के मां बाप को उन्हें व्यसन मुक्ति केन्द्रों में भेजे जाने के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

(ii) नशे से ग्रसित लोगों के उपचार के लिए टाण्डा मेडिकल कालेज में 15 बिस्तरों के सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस का निर्माण शुरू कर दिया है तथा इसके 2020 में तैयार होने की सम्भावना है।

(iii) टाण्डा मेडिकल कालेज में मादक पदार्थो से ग्रसित लोगो के ईलाज के लिए विशेष ओ.पी.डी चलाई जा रही है । निदेशक स्वास्थ्य विभाग को प्रत्येक जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मादक पदार्थो के आदि लोगों के ईलाज व परामर्श करने के बारे में निर्देश किए गए हैं। इस सम्बन्ध मे मनोचिकित्सक /नर्सो को गुंजन संगठन के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि नशे के आदी लोगों का ईलाज किया जा सके Red Cross Society मण्डी, ऊना, चम्बा, सिरमौर एवं हमीरपुर में नशा मुक्ति केन्द्र के स्थापना के लिए केन्द्रीय अनुदान सहायता के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार करके प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को भेजने का निर्णय लिया गया है। मानसिक चिकित्सालय शिमला मे नशे की लत से उबरे हुये व्यक्तियों हेतू पुनर्वास केन्द्र(Rehabilitation Center) तैयार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(iv) सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नूरपुर, भुन्तर, शिमला एवम् धर्मशाला में पुनर्वास केन्द्र खोलने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मामला केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है।

(v) प्रदेश में 02 नशा निवारण केन्द्र इन्दिरागांधी महाविद्यालय, शिमला एवं आ.पी.जी महाविद्यालय, टाण्डा में कार्य कर रहे है। इसके अलावा 01 नशा निवारण केन्द्र मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास अस्पताल बालुगंज शिमला में भी कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त 04 नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, चम्बा नाहन हमीरपुर व नेरचौक जिला मण्डी में नशा निवारण का कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश के सभी क्षेत्रीय एवं जिला अस्पतालों में युवा परामर्श केन्द्र स्थापित किए गए हैं जहां पर क्लीनिकल मनोविज्ञानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता सेवाऐं दे रहे हैं। क्लीनिकल मनोविज्ञानी सप्ताह में दो बार स्कूलों में जाकर बच्चों को नशे के कुप्रभाव के प्रति जागरूक करते हैं। 104 हैल्पलाईन द्वारा भी नशा निवारण के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है । राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 160 टीमें कार्यरत हैं जोकि स्कूलों में जाकर नशे से ग्रस्त छात्रों का भी पता लगाते हैं।

उपरलिखित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार नशा करने से उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सर्तक है तथा इसके निवारण हेतु समाज के सभी वर्गो तथा विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को साथ लेकर चलने हेतु कृत संकल्प है। नशाखोरी एक अनेक मुखवाला दानव है जिसके निवारण हेतु समाज के सभी वर्गो को तथा सरकार के सभी तंत्रों को एकजुट हो कर कार्य करना होगा ताकि प्रदेश को इस अभिशाप से सदा-सदा के लिए मुक्ति मिल सके।

अपना आज नशे में न उड़ाएँ,
अपना कल सुरक्षित बनाएँ।

- ठान लें -

जीवन को कहें हाँ
नशे को कहें ना

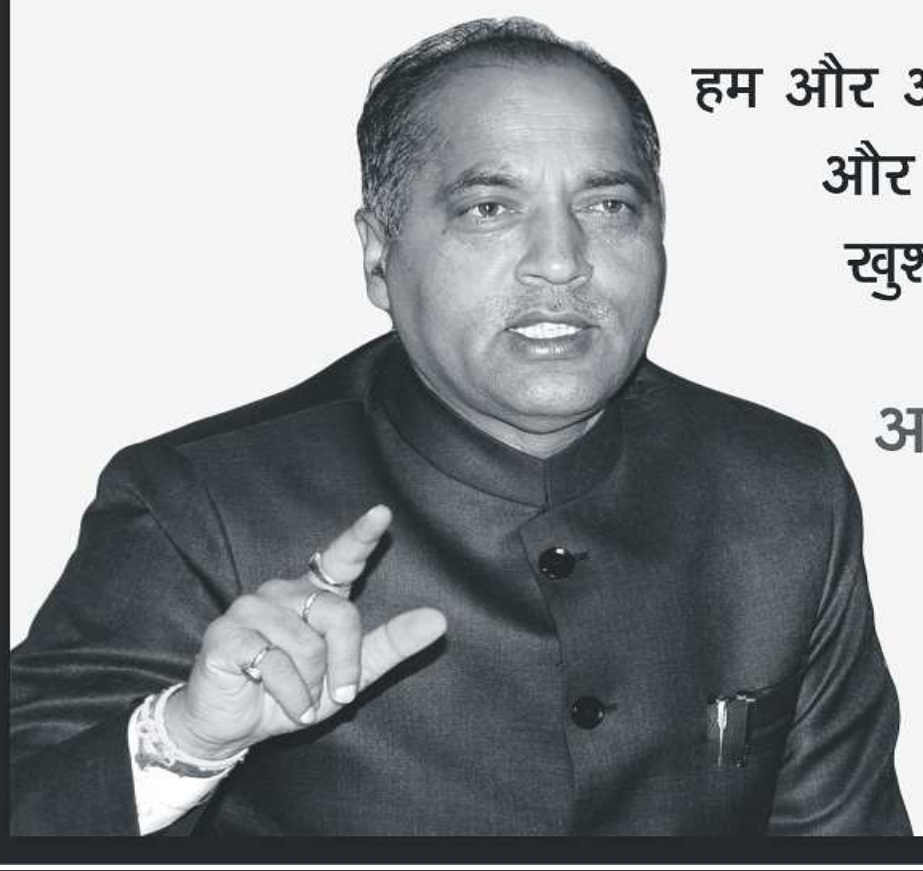

हम और आप मिलकर बदल सकते हैं तस्वीर
और ला सकते हैं सबके जीवन में
खुशहाली और सुख – समृद्धि।

आईए प्रण लें, न नशा करेंगे
और न ही करने देंगे।

जयराम ठाकुर
मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

एक वर्ष पूरा होने पर मनाया जा रहा जश्न सरकार के कामकाज का आडिट साबित होगा

शिमला/शैल। जयराम सरकार का सत्ता में एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। इस अवसर पर सरकार धर्मशाला में एक बड़ा जश्न आयोजित करने जा रही है। इस मौके पर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। अगले वर्ष मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं और इस बार भाजपा ने 300 सीटें जीतने का लक्ष्य बहुत पहले से ही घोषित कर रखा है। लेकिन अब पांच राज्यों मे मिली हार के बाद प्रधानमन्त्री और अमितशाह इस लक्ष्य को कैसे प्रस्तुत करते हैं इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। पिछले चुनावों में भाजपा को प्रदेश की चारों सीटों पर जीत हासिल हुई थी और तब प्रदेश में वीरभद्र के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी जबकि अब तो प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है। ऐसे में सरकार को फिर से यह जीत हासिल करने में कोई कठिनाई नही होनी चाहिये। लेकिन जिस ढंग से प्रदेश में सरकार और पार्टी चल रही है उसको लेकर पार्टी के भीतर ही एक बड़ा वर्ग यह मान रहा है कि इस बार यह जीत आसान नही होगी।

सरकार ने इस जश्न के मौके पर सारे विभागों को निर्देश दिये हैं कि वह एक वर्ष की अपनी उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाकर जनता को इसकी जानकारी दें। सभी विभागों से कहा गया है कि इन उपलब्धियों को लेकर अपने विभाग की एक लघुपुस्तिका भी छापें। इस पुस्तिका की संख्या 25 से 30 हजार के बीच रखने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि विभाग अपनी योजनाओं के लाभार्थियों को भी इस जश्न में लायें। सरकार का प्रयास कितना सफल होता है इसका आंकलन तो जश्न के बाद ही हो पायेगा। लेकिन इस जश्न के मौके पर जो पुस्तिकायें प्रसारित की जायेंगी उनमें दर्ज तथ्यों की प्रमाणिकता को परखने का आगे मौका मिल जायेगा। केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं से सही में कितनों को लाभ पहुंचा है उसकी शिनाख्त भी आसानी से हो जायेगी। इस नाते यह जश्न सरकार के कामकाज का आडिट भी बन जायेगा। क्योंकि जो भी उपलब्धियां इसमें जनता के सामने रखी जायेंगी उनकी सत्यता की पड़ताल करना आसान हो जायेगा।

जंहा सरकार इस मौके पर अपनी उपलब्धियों का पिटारा जनता के सामने रखने जा रही है वहीं पर कांग्रेस इसी दिन सरकार के खिलाफ आरोपपत्र लेकर आ रही है। इसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि उपलब्धियों का पलड़ा भारी रहता है या आरोपपत्र का। अभी शीत सत्र में पहले ही दिन सरकार द्वारा रामदेव के पंतजलि योग पीठ को लीज पर करीब 96 बीघा ज़मीन देना विशेष रूप से उठा। इसमें जब पंतजलि योगपीठ ने 2017 में प्रदेश उच्च न्यायालय से अपनी याचिका बिना शर्त वापिस ली थी तब सरकार ने इस लीज़ पर पुन: विचार करते हुए उपायुक्त सोलन को निर्देश दिये थे कि वह नये सिरे से लीज़ दस्तावेज तैयार करे। इन निर्देशों की अनुपालना करते हुए पट्टा नियम 2013 के नियम 8(1) और (II)

के प्रावधानों के अनुसार इसकी गणना करतें हुए वार्षिक पट्टा राशी 1,19,52,360/-रूपये तय की थी और इस राशी पर हर पांच वर्ष बाद 5% की बढौत्तरी करने का प्रारूप सरकार और योगपीठ को भेजा था लेकिन इस प्रारूप के हस्ताक्षरित होने से पहले ही सत्ता परिवर्तन हो गया। सत्ता परिवर्तन के बाद अक्तूबर 2018 मे योगपीठ से सरकार को पत्र लिखकर यह आग्रह किया कि 1,19,52,360 /- रूपये की राशी बहुत अधिक है अत: इसे कम करने पर विचार किया जाये। योगपीठ के इस आग्रह पर जयराम सरकार ने इस पर पुन: विचार किया। यह विचार 2016 में संशोधित किये गये पट्टा नियमों के अनुसार किया गया। इन नियमों में स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास हेतु लायी गयी योजनाओं को विशेष छूट देने का प्रावधान है। इस प्रावधान का प्रयोग करते हुए लीज़ पर दी जाने वाली 96 बीघे ज़मीन की कुल कीमत 11,95,23,600 /- रूपये आंकी गयी और इस इस कीमत का कुल 20% ही योगापीठ से एकमुश्त लेने का निर्णय लिया गया। इस तरह 2017 में जो लीज़ राशी प्रति वर्ष 1,19,52,360/- ली जानी उपायुक्त सोलन ने आकलित की थी वह अब केवल एक मुश्त 2,39,04,720 रूपये ली जायेगी। यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या योगपीठ जैसा व्यापारिक संस्थान इस तरह की छूट का पात्र हो सकता है। यही नहीं अभी सरकार नगर निगम शिमला क्षेत्र में ही संघ परिवार की दो ईकाईयों को करीब 24000 वर्ग मीटर भूमि देने जा रही है। जिलाधीश शिमला ने इसके लिये नगर निगम से अन्नापत्ति प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिया है क्या इन इकाईयों को इतनी ज़मीन दी जा सकती है यह एक और सवाल खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि यह सारे आरोप कांग्रेस के आरोपपत्र में दर्ज रहेंगे। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर यह दावा करते आ रहे हैं कि उन्हे विभिन्न योजनाओं के लिये केन्द्र से 9000 करोड़ की धनराशी मिलने का आश्वासन मिल चुका है। लेकिन यह योजानाएं कौन सी है इनका विवरण सरकार की ओर से नही दिया गया है। इसी तरह जिन राष्ट्रीय उच्च मार्गो के मिलने का दावा सरकार अब तक करती आ रही है उनकी डिटेल भी अब तक जारी नही हो पायी है। अभी तक सरकार स्कूली बच्चों को बर्दीयां उपलब्ध नही करवा पायी है। क्योंकि सरकार एकमुश्त तीन वर्ष की खरीद इकट्ठी ही कर लेना चाहती है। दूसरी ओर से अभी तक स्कूलों में अध्यापकों और अस्पतालों में डाक्टरों की कमी को पूरा नही किया जा सका है। मुख्यमन्त्री ने तीन महीने पहले यह दावा किया था कि दस दिनों के भीतर प्रदेश की सड़कों के गड्डे भर दिये जायेंगे लेकिन मुख्यमन्त्री का यह दावा हकीकत में कितना पूरा हो पाया है इसका प्रमाण शिमला, धर्मशाला उच्च मार्ग का शालाघाट से नम्होल तक का हिस्सा ब्यान कर देता है। इस परिदृश्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर उपलब्धियां या आरोप किसका पलड़ा भारी रहता है क्योंकि दोनो एक साथ जनता के सामने आयेंगे।

वीरभद्र-प्रतिभा सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपति मामले में आरोप तय होंगे-सीबीआई कोर्ट का आदेश

शिमला/शैल। आय से अधिक संपति मामले में सीबीआई की ओर से सितंबर 2015 में दर्ज मामले में दिल्ली की अदालत ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह समेत आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप निर्धारित करने के आदेश दे दिए हैं।

आगामी सात जनवरी को इन आरोपियों के खिलाफ सीबीआई के स्पेशल जज अरुण भारद्वाज की अदालत में आरोप निर्धारित कर दिए जाएंगे। अदालत ने वीरभद्र सिंह व बाकी आरोपियों की ओर से चालान में लगाए गई तमाम धाराओं को निरस्त करने बावत पेश की गई दलीलों को खारिज कर दिया और आरोप निर्धारित करने के आदेश दिए।

वीरभद्र सिंह की ओर से पेश हुए वकीलों ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13/1 इ को दरकिनार करने का खास तौर पर आग्रह किया था। लेकिन अदालत ने यह आग्रह भी नहीं माना। अदालत ने कहा कि दस करोड़ के करीब इस राशि को सफेद करने के लिए धोखाधड़ी व जाली कागजात करने के आरोप प्रथम दृष्टया सही लग रहे हैं।

सात जनवरी को वीरभद्र सिंह उनकी पत्नी व पूर्व कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह समेत सभी आरोपियों को अदालत में पेश होना होगा और आरोपों को गलत बताकर मुकद्दमा लड़ने के लिए तैयार होना होगा। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले यह वीरभद्र सिंह के अलावा प्रदेश कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है। भाजपा आगामी चुनावों में इस मामले को भूनाने से पीछे नहीं हटेगी।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के अलावा इस मामले में उनके एलआईसी एजेंट व सेब के बगीचे के प्रबंधक आनंद चौहान, सेब के आढ़ती चुन्नी लाल जिसने आनंद चौहान से सेब खरीदे थे, जोगेंद्र सिंह घालटा, प्रेम राज, लवण कुमार, और राम प्रकाश भाटिया इस मामले में सीबीआई की ओर से आरोपी बनाए गए हैं।

आनंद चौहान व वीरभद्र सिंह ने आयकर विभाग की जांच में दावा किया था कि उनके व आनंद चौहान के बीच सेब के बगीचे के प्रबंधन और इनकी बिक्री को लेकर जून 2008 में समझौता हुआ था। अदालत ने कहा कि यह धोखाधड़ी करके बनाया जबकि दोनों जानते थे कि इस दिन इन्होंने किसी भी समझौते पर दस्तख्त नहीं किए हैं। सीबीआई जांच में पाया गया कि समझौते के ये कागजात बाद में तैयार किए गए। अदालत ने कहा कि वीरभद्र सिंह पर भ्रष्ट तरीकों से बड़ी संपति एकत्रित करने का आरोप निर्धारित किया जाएगा।

अदालत ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने आयकर विभाग को भी धोखे में रखने का काम किया व जाली दस्तावेज तैयार किए।

वीरभद्र सिंह की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील तरन्नुम चीमा ने दलीलें दी की तमाम आरोप राजनीतिक बदले की भावना से बनाए गए हैं व मामले की सीबीआई जांच के लिए सरकार तक की अनुमति नहीं ली गई है। यह मामला किसी ने भी सीबीआई को नहीं भेजा न अदालत ने न किसी सरकार ने । अदालत ने उनकी दलीलें खारिज करते हुए कहा कि आय से अधिक संपति मामले में प्रशांत भूषण की ओर से दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच रिपोर्ट मांगी थी। सीबीआई ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ सितंबर 2015 में आय से अधिक संपति एकत्रित करने का मामला दर्ज किया था।

इसके बाद उनके शिमला, रामपुर व दिल्ली समेत कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। जिस दिन वीरभद्र सिंह के शिमला स्थित आवास पर छापेमारी की थी उस दिन उनकी बेटी की शादी थी।

वीरभद्र सिंह ने सीबीआई की ओर से दर्ज मामले को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी व तब के जज न्यायामूर्ति राजीव शर्मा ने सीबीआई को वीरभद्र सिंह से पूछताछ करने व गिरफ्तार करने से पहले प्रदेश हाईकोर्ट से अनुमति लेने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी व सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हिमाचल हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट को स्थानातंरित कर दिया था।